

न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

प्रकरण क्रमांक 30/2016 सत्रवाद

संस्थिति दिनांक 20-01-2016

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

1. रामकिशुन कुशवाह पुत्र फक्कडी कुशवाह, उम्र 55 वर्ष।
2. सरनाम कुशवाह पुत्र फक्कडी कुशवाह, उम्र 60 वर्ष।
3. गुलाबसिंह कुशवाह पुत्र फक्कडी कुशवाह, उम्र 53 वर्ष।
4. महेन्द्रसिंह कुशवाह पुत्र फक्कडी कुशवाह, उम्र 45 वर्ष।
5. कमलेश कुशवाह पुत्र रमेश कुशवाह, उम्र 30 वर्ष। समस्त निवासी ग्राम अन्नायच, थाना गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

-----अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0कं0 1328/2015 इ0फौ0
से उद्भूत यह सत्र प्रकरण क0 30/2016

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।
अभियुक्तगण द्वारा श्री एस0एस0श्रीवास्तव अधिवक्ता।

//दोषमुक्ति आदेश अंतर्गत धारा 232 दं.प्र.सं.//

//आज दिनांक 13-02-2017 को पारित किया गया//

01. आरोपीगण का विचारण धारा 147, 148, 326 (दो काउंट) बिकल्प में धारा

326/149 (दो काउंट) भा.दं.वि के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उन पर आरोप है कि दिनांक 25.12.2014 के 10:50 बजे ग्राम अन्नाचय में फरियादी के मकान के सामने थाना गोहद जिला भिण्ड में विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया जिसका सामान्य उद्देश्य आहतगण बंटीसिंह, रामस्वरूप, अशोक व बीरसिंह पर बल व हिंसा प्रयोग करने का था इस प्रकार उनके साथ मारपीट कर बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया। उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य रहते हुए घातक आयुध फर्सा, कुल्हाड़ी, लाठियों से सुसज्जित होकर जिनको कि आक्रामक आयुध के रूप में प्रयोग किये जाने से मृत्यु कारित होना संभाव्य है उनसे सुसज्जित होकर आहतगण पर बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया। उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आहत बंटी, रामस्वरूप को धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की। बैकल्पिक रूप से उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर अन्य सहआरोपीगण रामकिशन, सरनाम, गुलाब, महेन्द्र, कमलेश के साथ मिलकर आहत बंटी, रामस्वरूप को मारपीट करने का सामान्य उद्देश्य निर्मित किया जिसके अग्रसरण में कार्य करते हुए आरोपीगण में से किसी ने आहत बंटी को धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की।

02. प्रकरण में यह अविवादित है कि विचारण के दौरान फरियादीगण एवं आरोपीगण का राजीनामा हो जाने से आरोपीगण को धारा 294, 323(दो काउंट) विकल्प में धारा 323/149(दो काउंट), 506बी भा.दं.वि के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

03. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 25.12.2014 को फरियादी बंटी कुशवाह के द्वारा घायल अवस्था में आहत बीरसिंह कुशवाह, अशोक सिंह कुशवाह एवं रामस्वरूप कुशवाह जो कि ग्राम अन्नाचय के रहने वाले हैं थाना गोहद में इस आशय की रिपोर्ट कि करीब 10 बजे वह लोग अपने खेत के बोर से घर को लौट रहे थे। जैसे ही वह लोग अपने घड़र के सामने आए तभी पुरानी रंजिश पर से रामकिशन कुशवाह व सिरनाम कुशवाह फर्सा, गुलाबसिंह लाठी, महेन्द्रसिंह कुल्हाड़ी एवं कमलेश डंडा लेकर आए और सभी लोगों के द्वारा गाली देते हुए हमला कर दिया और सभी लोगों ने उनकी लाठी, डंडा, कुल्हाड़ी व फर्सा से मारपीट की जिससे फरियादी के सिर, पैर व हाथ में चोटें एवं अन्य आहत रामस्वरूप, अशोक व बीरसिंह को भी चोटें आई। मौके पर कपूरसिंह ने देखा और उनके घर की औरतों ने उन्हें बचाया। आरोपीगण कह रहे थे कि जमीन जौतकर रहेगें और यदि रोका तो जान से मार देंगे। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना गोहद में

अप0क्रं0 431/14 धारा 147, 148, 149, 294, 323, 324, 506बी भा.द.वि का पंजीबद्ध किया गया। आहतगण का मेडीकल परीक्षण कराया गया एवं एक्सरे कराया गया जिस पर से 325 भा0दं0वि0 का इजाफा किया गया। घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत विचारण हेतु अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट होने के उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

04. आरोपीगण के विरुद्ध धारा प्रथम दृष्टिया धारा 147, 148, 294, 323(दो काउंट) विकल्प में धारा 323/149(दो काउंट), 506बी एवं 326 (दो काउंट) बिकल्प में धारा 326/149 (दो काउंट) भा.दं.वि का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई। आरोपीगण एवं फरियादीगण के मध्य राजीनामा हो जाने से आरोपीगण को धारा 294, 323(दो काउंट) विकल्प में धारा 323/149(दो काउंट), 506बी भा.द.वि के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

05. दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है।

06. आरोपीगण के विरुद्ध विचारित किए जा रहे अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण के द्वारा दिनांक 25.12.2014 के 10:50 बजे ग्राम अन्नाचय में फरियादी के मकान के सामने थाना गोहद जिला भिण्ड में विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया जिसका समान्य उद्देश्य आहतगण बंटीसिंह, रामस्वरूप, अशोक व बीरसिंह पर बल व हिंसा प्रयोग करने का था इस प्रकार उनके साथ मारपीट कर बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया?
2. क्या आरोपीगण के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य रहते हुए घातक आयुध फर्सा, कुल्हाड़ी, लाठियों से सुसज्जित होकर जिनको कि आक्रामक आयुध के रूप में प्रयोग किये जाने से मृत्यु कारित होना संभाव्य है उनसे सुसज्जित होकर आहतगण पर बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया?
3. क्या आरोपीगण के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आहत बंटी, रामस्वरूप को धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की ?

बिकल्प में

क्या उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर अन्य सहआरोपीगण रामकिशन, सरनाम, गुलाब, महेन्द्र, कमलेश के साथ मिलकर आहत बंटी, रामस्वरूप को मारपीट करने का सामान्य उद्देश्य निर्मित किया जिसके अग्रसरण में कार्य करते हुए आरोपीगण में से किसी ने आहत बंटी को धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की?

—: सकारण निष्कर्ष:—

07. साक्ष्य की पुनरावृत्ति एवं सुगमता को देखते हुए सभी विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
08. घटना के फरियादी बंटी उर्फ बलवीर अ0सा0 2 के द्वारा जिस प्रकार से अभियोजन प्रकरण बताया गया है उसका कोई समर्थन नहीं किया गया है। उसके द्वारा केवल यह बताया गया है कि आरोपीगण से मुँहबाद एवं धक्का मुक्की हो गई थी। घटना की रिपोर्ट प्र.पी. 1 थाने में लिखाना जिसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है और पुलिस के द्वारा घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 2 बनाया गया था। साक्षी यह भी बताया है कि उसे एवं उसके पिता रामस्वरूप व भतीजा अशोक को इलाज हेतु अस्पताल गोहद पुलिस के द्वारा भेजा गया था। उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं।
09. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी रामस्वरूप अ0सा0 1, बीरसिंह अ0सा0 3, अशोक अ0सा0 7 का परीक्षण कराया गया है जो कि घटना के आहत होने बताए गए हैं, किन्तु उक्त आहत साक्षीगण के द्वारा अभियोजन घटनाक्रम का कोई समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी राजेन्द्र अ0सा0 4, फूलसिंह अ0सा0 5, कपूरे अ0सा0 6 के द्वारा भी अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है और उक्त साक्षीगण भी पक्षद्रोही रहे हैं।
10. प्रकरण में चिकित्सक डॉक्टर जी0आर0 शाक्य अ0सा0 9 के द्वारा आहत बंटी एवं आहत रामस्वरूप को कटा हुआ घाँव पाया जाना एवं उन्हें धारदार हथियार से चोटें पाए जाना के संबंध में अभिकथन किया है, किन्तु मात्र चिकित्सक के कथन के आधार पर जबकि घटना के फरियादी एवं आहत व साक्षियों के द्वारा आरोपीगण की घटनास्थल पर मौजूदगी अथवा उनके द्वारा घटना में किसी प्रकार से भाग लेने के संबंध में कोई अभिकथन

नहीं किया है। मात्र इस आधार पर कि उनके द्वारा आहतों को चोटें पाई गई है उनके विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती है।

11. ए0एस0आई0 हिम्मतसिंह भदौरिया अ0सा0 8 जिन्होंने कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर विवेचना की कार्यवाही की गई है, उनके द्वारा की गई कार्यवाही के आधार पर आरोपीगण को घटना में संलग्न होने अथवा उनके द्वारा घटना कारित करने के संबंध में दोषसिद्ध ठहराए जाने के संबंध में कोई आधार होना नहीं माना जा सकता है।

12. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में जबकि घटना के फरियादी/आहतगण के कथनों में आरोपीगण या किसी आरोपी की घटनास्थल पर मौजूदगी अथवा उनके द्वारा किसी प्रकार से घटना में शामिल होने के संबंध में कोई तथ्य नहीं आया है। आरोपीगण को अपराध में संलग्न होने मानते हुए उन्हें दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है।

13. विचारोपरान्त अभियोजन प्रकरण में आरोपीगण को दोषसिद्ध ठहराए जाने लायक कोई साक्ष्य विद्यमान न होने से आरोपीगण को धारा 147, 148, 326(दो काउंट) विकल्प में धारा 326/149(दो काउंट) भा.दं.वि के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड